न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2021 अपील (GCMS/2021/57)
पंजीयन दिनांक - 15.06.2021
निर्णय दिनांक - 09/09/2022

1. **मैसर्स क्लासिक मर्चेन्ट प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री हिमांशु जैन पिता सम्पतलाल जैन, निवासी आदिनाथ नगर, उदयपुर**

-प्रार्थी

बनाम

1. **तहसीलदार, गिर्वा उदयपुर राजस्थान सरकार**

-अप्रार्थी

उपस्थिति दौराने साक्ष्य व बहसः-

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा-151 जा.दी.

आदेश

दिनांक 09/09/22

उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (वर्तमान क्षेत्राधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर) द्वारा अपील संख्या-23/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2004 में वर्णित निर्देशों की पालना नहीं किये जाने से व्यथीत होकर पेश किया है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- ग्राम गोवर्धन विलास की आराजी नम्बर 1 रकबा 2.7200, आराजी नम्बर 1058/118 रकबा 0.3700, आराजी नम्बर 1153/2 रकबा 0.6700, आराजी नम्बर 1154/1086/7 रकबा 3.3500, आराजी नम्बर 1062/8 रकबा 0.9500, आराजी नम्बर 61 रकबा 0.1100, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.0300, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.6900, आराजी नम्बर 63 रकबा 0.0050, आराजी नम्बर 73 रकबा 0.1500, आराजी नम्बर 1074/74 रकबा 0.1000, आराजी नम्बर 64 रकबा 0.1850, आराजी नम्बर 1155/137 रकबा 31.0550, आराजी नम्बर 165 रकबा 0.0900, आराजी नम्बर 167 रकबा 0.2000, आराजी नम्बर 1083/821 रकबा 0.2200, आराजी नम्बर 1055/188 रकबा 2.8700, आराजी नम्बर 1110/135 रकबा 0.8400, आराजी नम्बर 816 रकबा 25.2000, आराजी नम्बर 1051/816 रकबा 11.000 किता 20 रकबा 80.8050 हैक्टेयर भूमि

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

तहसीलदार, गिर्वा द्वारा आदेश दिनांक 01.07.1997 से वन विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 01.07.1997 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश की जिसके नम्बर 23/02 अपील होकर निर्णय दिनांक 11.08.2004 को पारित किया कि-

"यह तो निर्विवाद है कि यह भूमि पहले व्यक्तिगत खातेदारी में थी एवं इस भूमि के संबंध में सीलिंग की कार्यवाही चली तथा इसे सीलिंग में इसे अवाप्त कर लिया गया था। सीलिंग में अवाप्त की गई अन्य भूमियों में यह भूमि भी शामिल थी तथा बिलानाम होने के बाद यह भूमि जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। यह भी निर्विवाद है कि इस भूमि को वन विभाग द्वारा कभी भी अवाप्त नहीं किया गया। सीलिंग में प्रकरण में राजस्व मण्डल में रिमाण्ड होने के बाद पुनः उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में चला तथा जैर बहस भूमि को उपखण्ड अधिकारी गिर्वा ने खातेदार की मानते हुए सीलिंग में अवाप्त नहीं किये जाने का आदेश पारित किया जिसमें यह भूमि भी सम्मिलित थी। अन्य भूमियां तो पुनः खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई पान्तु यह दो आराजीयात खातेदार के नाम दर्ज करना रह गया था, क्योंकि यह भूमि वन विभाग के नाम तत्समय दर्ज थी। सीलिंग प्रकरण में अंतिम निर्णय के पश्चात भूमि को भी वन विभाग के नाम से कम कर खातेदार के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था जो कि तत्समय नहीं हुआ। अतः उपरोक्त कारणों से हम अपीलान्ट की अपील केवल मात्र आराजी नम्बर 1058/118 व 1055/188 की हद तक स्वीकार करना उचित समझते है कि इन दोनों आराजीयात के संबंध में वन विभाग के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावें।

अतः अपील अपीलान्ट मौजा गोवर्धन विलास तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 1058/118 रकबा 0.3700 हैक्टर व आराजी नम्बर 1055/188 रकबा 2.8700 हैक्टर की आंशिक रूप से अपील स्वीकार की जाती है तथा इसी सीमा तक उक्त दोनों आराजीयात के संदर्भ में तहसीलदार गिर्वा का आदेश दिनांक 1.7.97 निरस्त किया जाता है। उक्त दोनों आराजीयात को छोड़कर तहसीलदार गिर्वा के आदेश दिनांक 1.7.97 में शेष प्रविष्टियां यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।"

- न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वन विभाग एवं प्रार्थी द्वारा दो अलग अलग अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर समक्ष प्रस्तुत की जिसके नम्बर 5203/2004 व 251/2005 होकर माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 13.10.2008 को पारित किया कि-

"इस सम्बन्ध में मैंने उभय पक्षों के तकों पर मनन किया है। यह सही है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में निगराकार व महाराणा मेवाड़ मानव धर्म ट्रस्ट उदयपुर के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी के साथ साथ कुल 79.7100 हैक्टर भूमि को चोहतर लाख

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

रूपये में क्रय करना बताया गया है। इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर अविश्वास करने के कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय दिनांक 30.06.99 से वादग्रस्त आराजी सीलिंग में अधिग्रहण योग्य नहीं पायी गई है और सीलिंग अधिग्रहण से मुक्त रखी गयी है। किसी भी न्यायालय के अन्य किसी निर्णय के तहत से इस वादग्रस्त आराजी को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार या औपचारिक रूप से अधिग्रहित नहीं किया गया है। इस स्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा निगराकार की अपील को सही रूप से स्वीकार किया है परन्तु उनके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश नहीं देकर निसंदेह कानूनी भूल की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अनेक विनिर्णयों में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरने की तहसीलदार को कार्यवाही को विधि सम्मत माना है। इस कानूनी परिपेक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर निगराकार वादग्रस्त आराजी संख्या 1058/118 एवं 1058/188 का नामान्तरकरण अपने पक्ष में भरवाने का अधिकारी हो जाता है। इस बाबत निगराकार द्वारा योग्य अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनुतोष चाहा गया था जिसे न तो स्वीकार किया गया न ही अस्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं मैसर्स क्लासिक मर्चेन्ट प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर की निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वन विभाग की ओर से प्रस्तुत निगरानी में बल नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है तथा मैसर्स क्लासिक मर्चेन्ट प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर की ओर से प्रस्तुत निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

मैसर्स क्लासिक मर्चेन्ट प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर की ओर से प्रस्तुत निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1058/118 रकबा 03700 हैक्टर व आराजी संख्या 1055/188 रकबा 2.8700 हैक्टर भूमि जिसे निगराकार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2000 से क्रय कर लिया है और उक्त आराजी किसी भी न्यायालय से राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं हो रखी है, का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम पर नियमानुसार खोला जावें। इस सम्बन्ध में तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के शेष निर्णय की पुष्टि की जाती है।"

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर (वर्तमान क्षेत्राधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर) द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 11.08.2004 की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा-151 जा.दी. इस न्यायालय को दिनांक 14.06.2021 को प्रस्तुत किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। वकील प्रार्थी फर्द अहकाम अनुसार पेशी तारिखों पर उपस्थित रहे व प्रार्थी का शपथ पत्र

दिनांक 28.06.2022 मय साक्ष्य प्रस्तुत किया, परन्तु अप्रार्थी तहसीलदार, गिर्वा स्वयं कभी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए यद्यपि उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अपना लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में साक्ष्य बन्द करते हुए अप्रार्थी के लिखित प्रत्युतर एवं प्रार्थी द्वारा दौराने कार्यवाही प्रस्तुत साक्ष्य/जवाब अनुसार निम्नानुसार आदेश पारित किया जा रहा है:

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस एवं शपथ पत्र दिनांक 28.06.2022 में प्रस्तुत किया है कि उक्त दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट अंकन है कि उक्त आराजीयात को प्रार्थी के नाम पर नामान्तरकरण खोलने बाबत आदेशित कर रखा है और इस आदेश की पालना तहसीलदार गिर्वा को सुनिश्चित करनी थी लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई जबकि प्रार्थी द्वारा विपक्षी समक्ष उक्त निर्णयों की प्रति प्रस्तुत करते हुए कई बार नामान्तरकरण खोलने बाबत निवेदन किया लेकिन विपक्षी द्वारा आनाकानी कर जानबुझकर न्यायालय आपके निर्णय की पालना नहीं की जा रही है। हाल ही में दिनांक 03.06.2021 को विपक्षी को पुनः निवेदन करने पर उनके द्वारा न्यायालय निर्णयों को मानने से इन्कार किया गया। विपक्षी जानबुझकर न्यायालय के आदेश को नहीं मानकर प्रार्थी के नाम पर भूमि का नामान्तरकरण नहीं खोला जा रहा है और यह कृत्य आप न्यायालय के निर्णय की अवमानना है। अतः निवेदन है कि न्यायालय आपके एवं माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णयों की पालना सुनिश्चित कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम पर खोला जावें एवं अवमानना किये जाने से विपक्षी के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड की कार्यवाही की जावें।

जैसा कि उपरोक्त में अंकन किया गया है, कि दौराने कार्यवाही अप्रार्थी तहसीलदार, गिर्वा स्वयं कभी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए यद्यपि उनके द्वारा **प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अपना लिखित प्रत्युतर कर कथन प्रस्तुत किये गये कि** उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या 68/2010 एवं 69/2010 में निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध हुआ। इसके पश्चात् उक्त प्रकरण में एसएलपी दायर किये जाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रभारी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी 33353/2011 राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स क्लासिक मर्चेंट प्रा.लि. प्रस्तुत की गई, किन्तु विलम्ब के कारण एवं मेरिट पर सुनवाई के उपरान्त एस.एल.पी. खारिज कर दी गई। उसके पश्चात् रिव्यु पीटीशन संख्या 1249/2012 प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 26.07.2012 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकरण में संबंध में तहसीलदार गिर्वा को पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है क्यों कि वर्तमान में उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय उदयपुर है। उक्त प्रकरण में उच्चाधिकारियों से प्राप्त होने वाले दिशा-निर्देश के अनुसार ही कार्य करने हेतु तहसीलदार गिर्वा बाध्य है। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लेकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र को उपरोक्त आधार पर खारिज फरमाया जावें।

हमनें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी., अधिवक्ता प्रार्थी की बहस, प्रस्तुत शपथ पत्र मय साक्ष्य, प्राप्त लिखित प्रत्युतर एवं संलग्न दोनों

समागीय आयुक्त
उदयपुर

न्यायालयों (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) के निर्णयों का विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं अध्ययन किया।

सर्वप्रथम आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी सुलभ संदर्भ हेतु यहा उद्धरित किया जाना उचित समझते है।

"आदेश 39
अस्थायी व्यादेश और अन्तवर्ती आदेश
अस्थायी व्यादेश

1. वे दशाएं जिसमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा- जहा किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा या अन्या वह साबित कर दिया जाता है कि-

(क) वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पंहुचाएगा या अन्य संक्रात करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका संदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा

(ख) प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट-वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है, अथवा

(ग) प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा हानि पहुंचाने की धमकी देता है।

वहा न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किये जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रान्त किये जाने, विक्रय किये जाने, हटाए जाने या व्ययनित किये जाने से अथवा (वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पतित के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचान से) रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाएं।

2. **भंग की पुनरावृति या जारी रखना अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश** - (1) संविदा भंग करने से या किसी भी प्रकार की अन्य क्षति करने से प्रतिवादी को अवरूद्ध करने के किसी वाद में, चाहे वाद में प्रतिकर का दावा किया गया हो या न किया गया हो, वादी प्रतिवादी को परिवादित संविदा भंग या क्षति करने से या कोई भी संविदा भंग करने में या तद्रूप क्षति करने से, जो उसी संविदा से उद्भूत होती हो या उसी सम्पत्ति या अधिकार से संबंधित हो, अवरूद्ध करने के अस्थायी व्यादेश के लिये न्यायालय से आवेदन, वाद प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय या निर्णय के पहले या पश्चात् कर सकेगा।

(2) न्यायालय ऐसा व्यादेश, ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे में, लेखा रखने के बारे में, प्रतिभूति देने के बारे में ऐसी निबन्धनों पर या अन्यथा, जो न्यायालय ठीक समझे, आदेश द्वारा दे सकेगा।

2ए. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम - (1) नियम 1 व 2 के अधीन दिये गये किसी व्यादेश या किए गए अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबन्धनों पर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

व्यादेश दिया गया था या आदेश किया गया था उसमें किसी निबन्धन के भंग के दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अंतरित की गई है, वह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरूद्ध किया जाए जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिए निर्देश न दे दे।

(2) इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा।"

इसी प्रकार धारा-151 जा.दी. सुलभ संदर्भ हेतु यहा उद्धरित किया जाना उचित समझते है।

"**151. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति-** इस संहिता की किसी बात में बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग को निवारण करने के लिए आवश्यक है।"

उपरोक्त प्रावधान आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा किसी अस्थायी व्यादेश की अवहेलना करने पर अवमाननाकर्ता की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है एवं दोषी व्यक्ति को 3 माह तक की सिविल कारावास की सजा भी दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी. के साथ संलग्न दोनों न्यायालयों निर्णयों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त दोनों निर्णय अंतिम निर्णय है, न की अंतरित आदेश है जबकि आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी अस्थायी व्यादेश/अंतरिम आदेश पर लागू होता है। उपरोक्त प्रावधानों के प्रकाश में इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दोनों न्यायालयों के अंतिम आदेशों की अवमानना का प्रकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2ए के प्रावधानों से स्पष्टतः शासित नहीं होता है, **परन्तु धारा-151 जा.दी. के उपरोक्त प्रावधान इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों के लिए तथा न्यायालय के आदेशों के दुरूपयोग/अवहेलना/क्रियान्वयन न करने पर निवारण/विधिक उपचार के लिए सशक्त करती है। अतः दोनों न्यायालयों के निर्णय 18 वर्ष पूर्व पारित किये जाने उपरान्त भी उनकी पालना नहीं किये जाने से यह न्यायालय हस्तगत प्रार्थना पत्र को धारा-151 जादी के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रकाश में निर्णित किया जाना उचित समझती है।**

इस न्यायालय की हस्तगत पत्रावली एवं पूर्व में पारित निर्णय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट आया है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के साथ साथ कुल 79.7100 हैक्टर भूमि को चोहतर लाख रूपये में क्रय की है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपने निर्णय में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर अविश्वास करने के कोई कारण उनके समक्ष नहीं होना माना है। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय दिनांक 30.06.99 से वादग्रस्त आराजी सीलिंग में अधिग्रहण योग्य नहीं

पायी गई है और सीलिंग अधिग्रहण से मुक्त रखी गयी है। किसी भी न्यायालय के अन्य किसी निर्णय के तहत से इस वादग्रस्त आराजी को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार या औपचारिक रूप से अधिग्रहित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अनेक विनिर्णयों में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरने की तहसीलदार को कार्यवाही को विधि सम्मत माना है। इस कानूनी परिपेक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी संख्या 1058/118 एवं 1058/188 का नामान्तरकरण अपने पक्ष में भरवाने का अधिकारी हो जाता है, जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 13.10.2008 से मैसर्स क्लासिक मर्चेन्ट प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर की ओर से प्रस्तुत निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1058/118 रकबा 03700 हैक्टर व आराजी संख्या 1055/188 रकबा 2.8700 हैक्टर भूमि जिसे निगराकार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2000 से क्रय कर लिया है और उक्त आराजी किसी भी न्यायालय से राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं हो रखी है, का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम पर नियमानुसार खोला जावें। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि दौनों न्यायालयों के निर्णय के 18 वर्ष उपरान्त भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2000 के आधार पर विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया गया।

आरआरडी-1979 पेज-1 में राजस्व मण्डल की वृहद-पीठ ने अपने निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया है कि विक्रेता ने जैसे ही कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया है उसी दिन से सम्पत्ति का स्वामित्व बदल जाता है। जिससे क्रेता प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना विधिक के प्रावधानों अनुसार आवश्यक था जो इस प्रकरण में नहीं पाया गया। हस्तान्तरण जरिये विक्रय नामान्तरकरण का प्रमुख स्त्रोत है जैसा कि धारा 133 में अन्तर्गत बताया गया है कि हस्तान्तरण होने पर भूमि का नामान्तरकरण उस व्यक्ति के नाम स्वीकृत किया जायेगा जिसको भूमि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकरण में प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना था, जो नहीं किया गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दौराने कार्यवाही दस्तावेज पेश किये गये। उक्त दस्तावेज के साथ प्रस्तुत तहसीलदार, गिर्वा के पत्र दिनांक 13.10.2017 के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.2008 में वर्णित भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल रिट संख्या 7936/2009 एवं 7937/2009 दर्ज होकर लम्बित है। इन रिट में किसी भी प्रकार का स्थनग प्रभावी नहीं है। इस पत्र के पेरा (3) में भी अन्य समस्त कार्यवाही के निष्पादन का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार दस्तावेजों के साथ संलग्न कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर के शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर को सम्बोधित पत्र अनुसार जिला कलक्टर द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 7936/2009 एवं 7937/2009 में कोई स्थगन नहीं होने से माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित

सम्भागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय के परिपेक्ष्य में आवश्यक दिशा-निर्देश चाहे गये। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार गिर्वा के उक्त पत्र दिनांक 13.10.2017 के पेरा (3) में यह अंकित किया है कि

"यह कि पूर्व में इन्ही पक्षकारों के मध्य एस.बी.सिविल रिट संख्या 5444/2005 (मैसर्स क्लासिक मर्चेंट प्रा.लि. बनाम सरकार एवं अन्य) का निर्णय दिनांक 03.03.2008 राज्य सरकार के विरूद्ध होने से राज्य सरकार द्वारा डी.बी. में सिविल रिट पीटीशन संख्या 68/2010 एवं 69/2010 प्रस्तुत की, जिसमें भी निर्णय दिनांक 06.04.2010 राज्य सरकार के विरूद्ध हुआ, जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी.-सी.सी. 33353/2011 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 28.11.2011 द्वारा एस.एल.पी. खारिज कर दी गई। इसके विरूद्ध रिव्यू पीटीशन संख्या 1249/2012 भी निर्णय दिनांक 26.07.2012 से खारिज की गई। रिव्यू पीटीशन खारिज होने के बाद श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय के साथ पत्र क्रमांक एफ 16/5(सी)(39)रिट/विधि/05/39-41 दिनांक 04.01.2013 प्रकरण समाप्त किये जाने की अपेक्षा के साथ राज्य सरकार को लिखा गया है।"

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि मैसर्स क्लासिक मर्चेंट प्रा.लि. के संबंध में एसबी सिविल रिट संख्या 7936/2009 एवं 7937/2009 लम्बित होकर उसमें कोई स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। उक्त याचिकाएं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। यहा हम माननीय **न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के कैलाशचन्द्र बनाम छौटी, 2008 सुप्रीम (राज.) 206, 2008 2 आरएडब्ल्यु (राजजे) 825 (साईटेशनः आरएडब्ल्यु 2008(2) आरजे 825)** में यह सिद्धान्त पारित किया है कि

"राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, धारा 135 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 5(43) - नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रकृति - "काश्तकार" शब्द की व्याप्ति - एक काश्तकार वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा लगान देय होता है - काश्तकारी एक काश्तकार एवं भूमिधारी के मध्य लगान के भुगतान के माध्यम से एक संबंध होता है - नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है - अभिनिर्धारित - केवल एक जीवित काश्तकार ही भूमिधारी (सरकार) को लगान का भुगतान कर सकता है न कि मृत काश्तकार - किसी दर्ज काश्तकार की मृत्यु होने पर नियमानुसार उत्तराधिकार को इस अभिवाक् के आधार पर प्रास्थगन में नहीं रखा जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित है - **नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है।** (प.स.8)

पुनरीक्षण स्वीकार की।"

उपरोक्त न्यायिक उद्धरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है, यह कोई अधिकारी प्रदान नहीं करती है। यह केवल यह निर्धारित करती है कि लगान/कर किसके द्वारा देय होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा के अनुसार, एक टीनेंट वह होना चाहिए जिसके द्वारा लगान/किराया/कर देय हो। नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त विधिक स्थिति अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है। तहसीलदार, गिर्वा को इस अभिवाक् के आधार पर हस्तगत प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश/निर्णय के विपरित जाकर नामान्तरकरण कार्यवाही को प्रास्थगन/स्थगन में नहीं रखा जा चाहिए था कि न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित है जबकि हस्तगत प्रकरण में उनके स्वयं द्वारा यह माना गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त लम्बित मुकदमे के निपटारे तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोकने का कोई मतलब नहीं है, जिसे अंतिम रूप से तय करने की प्रक्रिया में वर्षों लग गए है और अभी भी कई वर्ष लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित नामान्तरकरण को 18 वर्षों से प्रास्थगित/रोके रखा जाना प्रार्थी के न्यायिक, विधिक एवं सवैंधानिक अधिकारो के प्रति अत्यन्त गंभीर कुठारघात है। ऐसे में न्यायालयों के आदेशों की अवमानना की बढ़ती प्रवृति को रोका जाना व्यापक न्यायहित में आवश्यक है। यह न्यायालय 1992 आरआरडी 227 में प्रतिपादित विचार का समर्थन करती है कि **नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है जो पक्षकारों के अधिकारों को तय नहीं करती है और एक नामान्तरकरण को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य एक मुकदमा लम्बित है। यदि गैर-प्रार्थी/पक्षकार उसके द्वारा दायर मुकदमे में सफल हो जाता है जो उसके आधार पर एक ओर नामान्तरकरण को प्रमाणित किया जाएगा। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं विधिक स्थिति के आलोक में यह न्यायालय पाता है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (वर्तमान क्षेत्राधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर) के निर्णय दिनांक 11.08.2004 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.2008 की अनुपालना में विवादित आराजीयात, जिन्हे प्रार्थी द्वारा विक्रय किया गया है व कभी भी अधिग्रहित नहीं की गई, का नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष में दर्ज किया जाना उचित एवं उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप है।**

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी. को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (वर्तमान क्षेत्राधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर) के निर्णय दिनांक 11.08.2004 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.2008 की पालना एवं क्रियान्वयन हेतु

सभागीय आयुक्त
उदयपुर

तहसीलदार गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों की अनुपालना में प्रार्थी के पक्ष में विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण स्वीकृत/खोला जाकर न्यायालयों के निर्णय की पालना सुनिश्चित करें और पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाएं। न्यायालय हाजा के इस आदेश की पालना नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। साथ ही प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वांछित नामान्तरकरण की कार्यवाही के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित उपरोक्त प्रकरणों के निस्तारण तक विवादित आराजीयात का बेचान न करें। उक्त आदेश के साथ हस्तगत प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार हो। आदेश की प्रति तहसीलदार, गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

आदेश सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर